उर्वरक संयंत्रों के विस्तार की योजनाएं

6863. **श्री अजीत जोगी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ उर्वरक संयंत्रों का विस्तार करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार किए जाने के लिए किन-किन संयंत्रों की पहचान की गई है ;

(ग) विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने पर इन उर्वरक संयंत्रों की क्षमता में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो (क)से(घ) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0 (एन.एफ.एल.) के विजयपुर संयंत्र और इफको के आंवला संयंत्र को क्रमश: 987.26 करोड़ रुपए और 960 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत पर विस्तार के लिए मंजूरी प्रदान की गई है । इनमें से प्रत्येक परियोजना में प्रतिवर्ष 7.26 लाख टन यूरिया की अतिरिक्त क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है और इनके 1996 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

487.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मद्रास फर्टिलाइजर्स लि0 की पुनरूद्धार परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है । परियोजना पूर्ण होने पर 300 टन प्रतिदिन अमोनिया और 515 टन प्रतिदिन यरिया की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करेगी ।

Affairs of M/s. Carews

6864. SHRI H. HANUMANTHAPPA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to answer to Unstarred Qustion 3062 given in the Rajya Sabha on the 23rd December, 1993 and state:

(a) whether it is a fact that it has been established that M/s. Carews is interconnected with U. B. Group;

(b) whether in view of this interconnection, Carews were not free to operate as a small scale sector unit;

(c) whether it is also a fact that besides Combiflam, they started production of a number of formulations as a small scale sector, without any industrial licence or price approval; and

(d) if so, what action has been taken against them to recover the amounts due and for violation of I (D&R) Act, 1951 and DPCO, 1979 and 1987?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (d) According to the advice received from the Department of Company Affairs, M/s. Carews is interconnected with the U. B. Group and the matter is subjudice.

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एकक I और II की उत्पादन क्षमता

6865. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एकक I और II में उनकी क्षमता से अत्याधिक कम कार्य हो रहा है और उनका उत्पादन बहुत ही कम है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक एकक की उत्पादन क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें वस्तुत: कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) इन एककों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) :(क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच.एफ.सी.) के बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप-I और II एककों की स्थापित क्षमता तथा गत तीन वर्षों के दौरान पोषकों के रूप में प्राप्त वास्तविक उत्पादन क्षमता तथा गत तीन वर्षों के दौरान पोषकों के रूप में प्राप्त वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(000 मी. टन नाइट्रोजन में)

एकक का नाम	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन		
		1991-92	1992-93	1993-94
बरौनी	151.8	53.8	48.4	10.1
दुर्गापुर	151.8	49.4	34.2	18.8
नामरूप-I	21.2	0.1	0.18	—
नामरूप-II	151.8	35.8	23.2	3.3

(ग) संयंत्रों में मरम्मत तथा प्रतिस्थापन तथा सभी एककों में कैप्टिव पावर संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा वित्त प्रबन्ध करने के अतिरिक्त, सरकार निवेश आपूर्तियों की व्यवस्था करने के लिए एच.एफ.सी को वित्तीय समर्थन भी प्रदान कर रही है । संयंत्रों के वृहद पुनरुद्धार संबंधी प्रस्तावों को हाथ में नहीं लिया जा सका क्योंकि संयंत्रों के पुरानेपन, उच्च निवेशों, उनके परिणामस्वरूप आवर्ती भारी राजसहायता दायित्व तथा उत्पादन दक्षता के संबंध में चिरकालिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया । इस बीच, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने एच.एफ.सी. को एक कम्पनी घोषित कर दिया है और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० (आई.सी.आई.सी.आई.) को एकक-वार पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने के लिए प्रबंधन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है । इन एककों के भविष्य के संबंध में कोई भी निर्णय बी.आई.एफ.आर. जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों पर निर्भर करेगा ।

Effects of molasses decontrol on alcohol-based chemical industries

6866. **SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:**

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that alcohol-based chemical industries are incurring losses on account of decontrol of the price of molasses and alcohol; if so, what are the reasons therefor;

(b) whether some State Governments have introduced partial decontrol to assist the industries concerned; and

(c) whether Government propose to take any steps to help the industry and if so, the details thereof ?